



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

cehydelpcl@gmail.com

फैक्स : 0522-2288655

संख्या : 1408 /अ-2/सी०ई०एच०/नियुक्ति/16

दिनांक 14/09/2016

विषय:- नव चयनित अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) को पदभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में।

1. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)
मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर
2. निदेशक(का०प्र०),
उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०,
लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा/नियोजन स्कन्ध -
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. संयुक्त सचिव(मुख्यालय),
शक्ति भवन, लखनऊ।
5. अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) (मुख्यालय),
शक्ति भवन, लखनऊ।

महोदय,

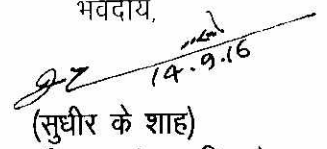
कृपया इस कार्यालय के कमरा: ज्ञापन संख्या-375,376,377,378,379,380 एवं 381,382,383,384, 385-अ-2/मु०अ०(ज०वि०)/16, दिनांक 09.03.2016 तथा ज्ञापन संख्या-456,457-अ-2/मु०अ०(ज०वि०)/16, दिनांक 21.03.2016 व ज्ञापन संख्या-1366,1367,1368 एवं 1369-अ-2/मु०अ०(ज०वि०)/16, दिनांक 01.09.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिनके माध्यम से अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत/सिविल) के आवंटन आदेश निर्गत किये गये हैं।

उक्त सम्बन्ध में विद्युत सेवा आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या-467/विसेआ, दिनांक 25.04.2016 की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध करना है कि विद्युत सेवा आयोग द्वारा प्रदत्त अभिमतानुसार 'ऐसे अभ्यर्थियों, जिनका चयन अनारक्षित श्रेणी के अन्तर्गत किया गया था जिसके लिए निवास प्रमाण पत्र माँगने का कोई औचित्य नहीं है, अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी भारत में किसी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का हो सकता है,' के दृष्टिगत ऐसे अवर अभियन्ताओं (प्रशिक्षु) की योगदान आख्या स्वीकार कर ली जाये।

सादर

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,


(सुधीर के शाह)

मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

प्रति: मुख्य अभि. (वेब) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
लखनऊ के पत्र अपलोड करने से तृप्ता को।